GCMS संख्या 2022/194
प्रकरण संख्या 126/22
मोहन मीणा बनाम राज्य सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/194

प्रकरण संख्या 126/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री मोहन मीणा बनाम राज्य सरकार

निर्णय

दिनांक : 06.07.2022

1. प्रार्थी श्री मोहन पिता उदा जाति मीणा निवासी धावड़िया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा धावड़िया पटवार मण्डल धावडिया जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के खाता संख्या 199 आराजी संख्या 1062 रकबा 0.8100 हेक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.8100 बीघा भूमि सोहन पुत्र उदा हिस्सा 1/2 जाति मीणा, मोती पुत्र उदा हिस्सा 1/2 जाति मीणा दर्ज रेकाडॅ है। उपरोक्त भूमि बन्दोबस्त से पूर्व भूमि राजस्व रिकार्ड कि मौजा मौजा धावड़िया पटवार मण्डल धावडिया जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 में खाता संख्या 158 आराजी नम्बर 1010/2 रकबा 3.15 बीघा, भूमि मोहन मोती पिता उदा मीणा के नाम दर्ज रिकोडॅ था। जिसमें भू प्रबन्धन के दोरान नाम त्रुटि का संशेधन कराने हेतु आवेदन किया है।

2. अतः तहसीलदार भीण्डर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बन्दोबस्त से पूर्व भूमि राजस्व रिकार्ड में मौजा धावड़िया पटवार मण्डल धावडिया जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 में खाता संख्या गत खाता संख्या 158 के आराजी संख्या 1010/2 रकबा 3–15 बीघा भूमि मोहन पुत्र उदा, मोती पुत्र उदा जाति मीणा दर्ज रेकर्ड जिसमें भू–प्रबन्धन के बाद जमाबन्दी संवत 2078–81 के वर्तमान खाता संख्या 199 में मोहन के बजाय सोहन दर्ज हो गया है जिसे पूर्व रिकार्ड अनुसार नाम संशोधन करने हेतु निवेदन किया है जिसमें ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, मिलान क्षेत्रफल संलग्न है जिसमें तहसीलदार भीण्डर ने निवेदन किया है कि अन्य किसी सहखातेदार को आपत्ति नहीं हो तो प्रार्थी का नाम संशोधित किया जाना उचित है।

3. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं माननीय [illegible] मण्डल के अपील/एल.आर. /6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय [illegible] सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज. 16/92/26 दिनांक 2015 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पत्रावली के तथ्य जिससे मौजा धावड़िया पटवार [illegible] धावडिया जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के खाता संख्या 199 आराजी संख्या 1062 रकबा 0.8100 हेक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.8100 बीघा भूमि सोहन पुत्र उदा हिस्सा 1/2 जाति मीणा, मोती पुत्र उदा हिस्सा 1/2 जाति मीणा दर्ज रेकाडॅ है। जबकी भूमि बन्दोबस्त से पूर्व भूमि राजस्व रिकार्ड कि मौजा मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

धावड़िया पटवार मण्डल धावडिया जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 में खाता संख्या 158 आराजी नम्बर 1010 / 2 रकबा 3.15 बीघा, भूमि मोहन मोती पिता उदा मीणा के नाम दर्ज रिकोर्ड था। जिसमें भू प्रबन्धन के दोरान नवीन जमाबन्दी संवत् 2078–81 में प्रार्थी का नाम मोहन के बजाय सोहन सेहवन से हो गया है जिसे दुरस्त किया जाकर खाता संख्या 199 की आराजी संख्या 1062 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि में खातेदार सोहन पिता उदा मीणा के स्थान पर मोहन पिता उदा जाति मीणा हिस्सा 1 / 2 किया जाना उचित प्रतीता होता है।

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा धावड़िया पटवार मण्डल धावडिया जमाबन्दी सम्वत् 2078–81 के खाता संख्या 199 आराजी संख्या 1062 रकबा 0.8100 हेक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.8100 बीघा भूमि सोहन पुत्र उदा हिस्सा 1 / 2 जाति मीणा के स्थान पर मोहन पुत्र उदा हिस्सा 1 / 2 जाति मीणा किया जाता है। तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

5. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6/7/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डेर जिला–उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner